

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

पत्रांक:- 153 / 1(e)

दिनांक: 27/01/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा, वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 ए (रामेश्वर-गंगोलीहाट-बेरीनाग-चौकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला-अल्मोड़ा मोटर मार्ग) के किमी 170 से 206 तक मार्ग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु 18.405 हैठ वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0, रानीखेत को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/151120/2022**)

संदर्भ :- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/80/2022/एफ.सी. दिनांक 03.04.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा वन भूमि प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का चयन गैर वन भूमि में किये जाने, मार्ग चौड़ीकरण में अधिक पेड़ों (5981 नं0) के पातन हेतु प्रभागीय वनाधिकारी की अध्यक्षता में समीति का गठन कर परीक्षण किये जाने व Wild Life Mitigation Plan Submite किये जाने इत्यादि कमियों इंगित की गई है। उक्त संदर्भित पत्र में लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है :-

क्र.सं.	आपत्तियाँ	खण्ड द्वारा आपत्तियों का निराकरण
1	The DFO, Almora Forest Division is required to inspect the CA area and submit the detailed report of suitability of the area for raising plantation @ 1000 trees per hectare. If the same is not found suitable, the same is required to be replaced with some other area of additional area may be proposed accommodate the remaining trees.	प्रकरण वन विभाग से सम्बन्धित है।
2	Since the proposal is affecting huge number of tress i.e. 5981 tress (including 3095 saplings), it is requested to minimize the number of tree to be felled in the proposal. A committee shall be constituted under the chairmanship of concerned DFO and representative of the Project Authority who will assess the requirement of felling during the construction and order to cut the trees accordingly in order to avoid blanket felling. The same may also be communicated ti the Regional Office.	उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309ए के किमी 170 से 206 तक मार्ग के दो लेन चौड़ीकरण में अधिक पेड़ों (5981 नं0) का पातन प्रस्तावित होने के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 5056/12-1(2) दिनांक 24.04.2024 द्वारा पेड़ों का पातन न्यून किये जाने के दृष्टिगत प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में गठित समीति के सदस्यों अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0, रानीखेत, उपप्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा, वनाक्षेत्राधिकारी, अल्मोड़ा, राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 03.05.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई में एक तरफ हिल साइड व दूसरी तरफ खड्ड साइड है। मार्ग के दो लेन चौड़ीकरण हेतु गठित वन भूमि प्रस्ताव में पेड़ों के न्यून पातन को दृष्टिगत रखते हुए ही तत्समय मार्ग का समरेखन निर्धारित किया गया है, चूँकि मार्ग पूर्व निर्मित है जिसका दो

		लेन में चौड़ीकरण प्रस्ताव है। अगर वैकल्पिक समरेखन पर विचार किया जाता है तो और अधिक पेड़ों के प्रभावित होने की सम्भावना है। (संयुक्त निरीक्षण की आख्या संलग्न-01 पृष्ठ)। मार्ग चौड़ीकरण हेतु पूर्व में चिन्हित 5981 नं० पेड़ों का पातन किया जाना आवश्यक है।
3	State Government is also requested to submit the Wildlife Mitigation Plan in the Proposal.	वन भूमि प्रस्ताव में Wild Life Mitigation Plan Submit किये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जानी है।
4	इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में यह पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र गैर-वन भूमि के स्थान पर अवनत वन भूमि पर प्रस्तावित है। परन्तु, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का चयन गैर-वन भूमि पर आवश्यकता है एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के पैरा 16 (8) (ii) अनुसार 'Any provision of the extant rules will be applicable on the proposals which are yet to be granted in-principle approval' under the adhiniyam'। अतः राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त गैर-वन भूमि का चयन कर प्रेषित करने का कष्ट करें।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि का चयन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस क्रम में जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा के पत्रांक 1754(1)/छब्बीस-एफ०सी०/2024-25 दिनांक 15.01.2025 द्वारा तहसील सल्ट व भिकियासैंण में $2 \times 18.405 = 36.81$ है० भूमि उपलब्ध करायी गयी, जिसका वन विभाग, राजस्व विभाग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि का संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। चयनित स्थल की संयुक्त निरीक्षण आख्या KML File, Digital Map, Geo refrance Map, DSS Report संलग्न है। यह भी अवगत कराना है कि वृक्षारोपण पूर्व में CA Land हेतु चिन्हित Degraded forest land में प्रस्तावित किया गया था। अतः तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त सल्ट व भिकियासैंण में उपरोक्तानुसार आवंटित सिविल भूमि 36.61 है० को प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की कार्यवाही की जानी है।

अतः सादर अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में वन विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संलग्न KML File, Digital Map व Georeference Map प्रतिहस्ताक्षर कर इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न :- Kml File, Digital Map, Georeference Map 06 प्रतियों में।

Tree List, Muck Disposal Plan, Land Schedule, Fact sheet - Part 1, CA Papers

Received
28/01/2025

अधिसासी अभियन्ता

प्रभागीय वनाधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत।

वन विभाग अल्मोड़ा

पत्रांक:- 153/12 22-01-25

दिनांक: / /2024

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०, हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता षष्ठम, रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिसासी अभियन्ता

राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत।

संयुक्त निरीक्षण आख्या

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 'ए' के किमी 169 से 206.600 (कनगाड़छीना से अल्मोड़ा) तकमार्ग के टू-लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- 8बी/यू0सी0पी0/06/80/2022/एफ0सी0 दिनांक-03.04.2024 द्वारा मार्ग के Alignment में अधिक पेड़ों (5981 नं0) का पातन प्रस्तावित होने के कारण भारत सरकार द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी की अध्यक्षता में पेड़ों का पातन न्यून किये जाने के संबंध में कमेटी का गठन कर आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस कम में प्रभागीय अधिकारी अल्मोड़ा के पत्रांक-5056/12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक-24.04.2024 द्वारा 03.05.2024 को संयुक्त निरीक्षण की तिथि निर्धारित की गयी।

आज दिनांक-03.05.2024 को प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा की अध्यक्षता में अधिशासी अभियन्ता रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत, सहायक अभियन्ता रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत, उप प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा, वनक्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा, वनक्षेत्राधिकारी बिन्सर अभ्यारण्य, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में संयुक्त निरीक्षण किया गया।

उक्त मार्ग singlelane में पूर्व निर्मित है, जिसका टू-लेन में चौड़ीकरण किये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त है, जिसका Alignment भी स्वीकृत है। मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई में एक तरफ Hill व दूसरी ओर Khad side है। मार्ग के टू-लेन में चौड़ीकरण हेतु गठित वन भूमि प्रस्ताव में पेड़ों के न्यून पातन को दृष्टिगत रखते हुए ही तत्समय मार्ग का Alignment निर्धारित किया गया है। संयुक्त निरीक्षण में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वन भूमि प्रस्ताव में प्रस्तावित 5981 नं0 पेड़ों का पातन किया जाना आवश्यक है।


Assistant Engineer
N.H. Division PWD
Ranikhet


अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड
लो०नि०वि० रानीखेत


वन क्षेत्राधिकारी
अल्मोड़ा वन क्षेत्र अल्मोड़ा


वन क्षेत्राधिकारी
अल्मोड़ा वन क्षेत्र अल्मोड़ा


का.प्र.नि.पेड़ों/अ.प्र.नि.
1/2 ए.नि. NTD


प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा


13/05/24
वन क्षेत्राधिकारी
अल्मोड़ा